न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 568 / 2023
अनवान : –

1. अनोप सिंह पुत्र नत्थुराम जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर ।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर ।
3. मैना कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. संतोष कंवर पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
5. पोकरराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
7. उप पंजीयन नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 18/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 9/9 के खसरा नं. 312/2 की 2.2380 है० व खसरा नं. 371 की 1. 4420 है०, 372 की 2.6560, 80, 728/3. की 1.0120 है० कुल तादादी 7.3480 है० कृषि भूमि वाके रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर में वादी की खातेदारी कृषि भूमि है।

रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 416/416 के खसरा नं. 376 की 3.0350 है0, 637 की 9.6110 है०, 727 की 2.0240 80, 728/1 की 3.0350 है० कुल तादादी 17.7050 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का ब०श हि० ब० 1/4 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा आराजी जरई वाके रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 277/267 के खसरा नं. 728/2 की 3.5410 है० कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता [illegible] महेन्द्र सिंह सगे भाई है इनके पिता नत्थुसिंह के चार पुत्र महेन्द्र सिंह [illegible] व जयदेव सिंह हुए। प्रतिवादीगण के पिता महेन्द्रसिंह ने एक वाद महेन्द्रसिंह बनाम [illegible] ाब सिंह आदि वाद [illegible] 36/1978 पेश किया जिसमें अपने पिता से भाईयों से भूमि का आपसी राजीनामा से भूमि अपने–अपने नाम दर्ज करवाकर खाता तकसीम किया गया था उसी अनुसार दावा का निर्णय दिनांक 23.01.1981 को

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

डिक्री किया गया था उसी के मुताबिक नजरी नक्शा में दर्ज कर मौके पर सभी अलग–अलग भूमि काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण की कृषि भूमि आपस में चिपती हुई है कृषि भूमि के बीच में से रास्ता गुजरता है खसरा नं. 372 वादी के पास है जिसमें रास्ता गुजरता है रास्ता के चिपते हुए वादी का खसरा नं. 728/3 दर्ज कर रखा है जो सही नहीं है वादी का मुताबिक पर्चा डिक्री खसरा नं. 728/1 है लेकिन वर्तमान जमाबंदी में खसरा नं. 728/3 दर्ज कर रखा है व नजरी नक्शा भी रास्ता के चिपती समानान्तर 4 विघा भूमि लम्बाई में दर्ज थी जो वर्तमान नजरी नक्शा में 728/2 के पास दर्ज है जो गलत है वाद संख्या 36/78 के मुताबिक वादी व प्रतिबादीगण भूमि काश्त करते चले आ रहे है लेकिन वर्तमान जमाबंदी नजरी नक्शा में 728 का बंटवारा सही नहीं कर गलत कर रखा है पर्चा डिक्री व नक्शे के मुताबिक वादी का खसरा 728/1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पास खंसरा नं. 728/2 व प्रतिवादी संख्या 5 ने गुलाबसिंह से भूमि खरीद की थी उसके पास खसरा नं. 728/3 बंटवारा में दिया था जो पुराने नक्शा में दिखाया गया है उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण ने कृषि भूमि के चारों तरफ सींव डोल कायम कर रखी है व काश्त कर रहे है। वादी व प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में जमाबंदी में खसरा नं. 728 का सही बंटवारा दर्ज नहीं होने के कारण से आपसी विवाद बना रहता है इसलिए वादी का खसरा नं. 728/3 के स्थान पर खसरा नं. 728/1 दर्ज किया जावे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का खसरा नं. 728/1 के स्थान पर खसरा नं. 728/2 दर्ज किया जावे व प्रतिवादीगण संख्या 5 का खसरा नं. 728/2 के स्थान पर खसरा नं. 728/3 दर्ज किया जावे तथा खसरा नक्शा में खसरा संख्या 728 का बंटवारा भी सही दर्ज होना है। खसरा नक्शा 728/3 के स्थान पर खसरा नं. 728/1 व खसरा नक्शा में खसरा नं. 728/1 के स्थान पर खसरा नं. 728/2 व खसरा नक्शा में 728/2 के स्थान पर खसरा नं. 728/3 सही दर्ज होना है तथा मोके पर खसरा नक्शा खसरा नं. 372 के पास रास्ता के चिपता हुआ खसरा 728/1 सही तरमीम किया जावें जो खसरा नं. 728/2 व 728/3 के समान्तर है। इसी के अनुसार नजरी नक्शा व जमाबंदी में रिकार्ड शुद्ध किया जावे।

अत वाद वादी इस आशय की घोषणा की जावे की रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 9/9 के खसरा नं. 728/3 के स्थान पर 728/1 सही दर्ज किया जावे व खसरा संख्या में 728/3 के स्थान पर 728/1 सही नक्शा तरमीम किया जावे एवं खाता संख्या 416/416 के खसरा संख्या 728/1 के स्थान पर 728/2 सही किया जावे एवं खाता संख्या 277/267 के खसरा संख्या 728/2 के स्थान पर 728/3 सही दर्ज किया जावे इसी अनुसार भूमि के भू नक्शे का भौतिक सत्यापन करवाकर जमाबंदी व भू नक्शा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का [illegible] फरमावें।

वादी ने प्रतिवादीगण को [illegible] को सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक [illegible] आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखंड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि मौके व ऑनलाईन तरमीम में भिन्नता है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि महेन्द्रसिंह बनाम गुलाब सिंह आदि वाद संख्या 36/1978 पेश किया जिसमें अपने पिता से भाईयों से भूमि का आपसी राजीनामा से भूमि अपने–अपने नाम दर्ज करवाकर खाता तकसीम किया गया था उसी अनुसार दावा का निर्णय दिनांक 23.01.1981 को डिक्री किया गया था उसी के मुताबिक नजरी नक्शा में दर्ज कर मौके पर सभी अलग–अलग भूमि काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन मुताबिक पर्चा डिक्री तरमीम नही है। अत रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 9/9 के खसरा नं. 728/3 के स्थान पर 728/1 सही दर्ज किया जावे व खसरा संख्या में 728/3 के स्थान पर 728/1 सही नक्शा तरमीम किया जावे एवं खाता संख्या 416/416 के खसरा संख्या 728/1 के स्थान पर 728/2 सही किया जावे एवं खाता संख्या 277/267 के खसरा संख्या 728/2 के स्थान पर 728/3 सही दर्ज किया जावे इसी अनुसार भूमि के भू नक्शे का भौतिक सत्यापन करवाकर जमाबंदी व भू नक्शा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की मौका कब्जा काश्त व ऑनलाईन नक्शा में भिन्नता है। वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण एक दुसरे के चिपते पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अुनसार वर्तमान कब्जा काश्त व ऑनलाईन नक्शे में भिन्नता है। अत वादी का वाद साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 9/9 के खसरा नं. 728/3 के स्थान पर 728/1 व खसरा संख्या में 728/3 के स्थान पर 728/1 सही नक्शा तरमीम के अंकन की

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

घोषणा की जाती है एवं खाता संख्या 416/416 के खसरा संख्या 728/1 के स्थान पर 728/2एवं खाता संख्या 277/267 के खसरा संख्या 728/2 के स्थान पर 728/3 के अंकन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार भूमि के भू नक्शे का भौतिक सत्यापन करवाकर जमाबंदी व भू नक्शा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 568 / 2023

अनवान : –

1. अनोप सिंह पुत्र नत्थुराम जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर ।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर ।
3. मैना कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. संतोष कंवर पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
5. पोकरराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
7. उप पंजीयन नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 568 सन 2023 निर्णय दिनांक 18/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 9 / 9 के खसरा नं. 728 / 3 के स्थान पर 728 / 1 व खसरा संख्या में 728 / 3 के स्थान पर 728 / 1 सही नक्शा तरमीम के अंकन की घोषणा की जाती है एवं खाता संख्या 416 / 416 के खसरा संख्या 728 / 1 के स्थान पर 728 / 2एवं खाता संख्या 277 / 267 के खसरा संख्या 728 / 2 के स्थान पर 728 / 3 के अंकन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार भूमि के भू नक्शे का भौतिक सत्यापन करवाकर जमाबंदी व भू नक्शा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ......18/02/26...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:48:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर